-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.06.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **भाई को जान से मारने की नियत से अवैध तमंचा से फायर करने वाले अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे से फायर कर हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 18.06.2024 हॉल पता खाईंपार के रहने वाले लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा पर जमीन जोतने बोने के विवाद को लेकर उनके सगे भाई शिवकुमार मिश्र नि0 महुआ थाना गिरवां द्वारा उनके घर आकर जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर कर दिया गया जिसमें लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा बाल-बाल बच गये। थाना कोतवाली नगर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 19.06.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा खूंटी चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा बरामद किया गया है।

बरामगदगी-

- घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 32 बोर
- 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शिवकुमार मिश्रा पुत्र कल्लू प्रसाद मिश्रा नि0 महुआ थाना गिरवां जनपद बांदा

पंजीकृत अभियोग –

- मु0अ0सं0 450/24 धारा 307/504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री दानबहादुर पाल
2. हे0कां0 लक्ष्मीकांत